चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2638
दिनांक : 12-9-2025

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 संस्थान/महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः—निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्क्रम (शिक्षण सत्र 2025—26) के लिये पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः 270/सत्तर—7—2025—बी0एड0(16)/2011 दिनांकः 20 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2025—26) के लिये पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—
01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

CIR_19(57)

GA 169
22/8/20

संख्या–270/सत्तर–7–2025–बी0एड0(16)/2011

1. Finance Officer
2. Sh. S. P. Singh
3. Dean - Education &
✓A. R. Affiliation
Issue a letter to all concerned colleges. & copy to No. 1, 2, & 3!

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

G4799
22/8/25

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनाँकः 20 अगस्त, 2025

विषयः– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2025–26) के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर–6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या–1561/सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या– 2463/200–सोलह–ए–5 (डब्लयू–48)/2003, दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 12.08.2025 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई।

2– समिति की उक्त बैठक, पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं राज्य विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आख्या पर सम्यक् विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा पूर्व की भाँति प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यकम के शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू0 51,250/– तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000/– निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।